प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियॉ

सहकारी गन्ना विकास समितियों का गठन उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 एवं नियमावली 1968 के अन्तर्गत गन्ना किसानों के हित संरक्षण के लिये किया गया है। उ0प्र0 गन्ना(पूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 तथा संगत नियमावली 1954 के अन्तर्गत गन्ना किसानों द्वारा उत्पादित गन्ने को चीनी मिलों को नियोजित एवं परस्पर लाभप्रद आपूर्ति गन्ना समितियों के माध्यम से करने कराने की व्यवस्था है। प्रत्येक चीनी मिल को गन्ना समितियों के माध्यम से ही गन्ना खरीद की विधिक व्यवस्था है। बिना गन्ना समितियों को सहभागी बनाये सीधे चीनी मिलों को गन्ना आपूर्ति की सुविधा अनुमन्य नहीं है। इस गन्ना आपूर्ति के बदले चीनी मिलों द्वारा गन्ना समितियों को गन्ना मूल्य से कमीशन दिया जाता है, जो गन्ना समितियों की आय का प्रमुख स्रोत है। इन गन्ना समितियों की प्रधान इकाई/प्रधान कार्यालय उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ है। इस संघ हेतु विभागीय अधिकारी, प्रबन्ध निदेशक के पद पर कार्यभार संभालते हैं। उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ के प्रमुख उद्देश्य हैः–

1. प्रदेश के गन्ना उत्पादकों तथा सदस्य समितियों के हितों की पूर्ण रूप से रक्षा करना तथा उनकी उचित मांगों की पूर्ति क लिये प्रयास करना।
2. प्रदेश की चीनी मिलों एवं सदस्य समितियों में उनके सम्बन्ध स्थापित करना और गन्ने के विकास तथा सुचारू रूप से बिक्री के लिये प्रयास करना।
3. सदस्य समितियों का पथ प्रदर्शन करना ओर संगठित रूप से कार्य संचालन हेतु नीति निर्धारित करना तथा आवश्यकता पड़ने पर उनका प्रतिनिधित्व करना।
4. सदस्य समितियों के लिजये गन्ने विकास हेतु बीज खाद, उर्वरक तथा अन्य कृषि उपकरणों की व्यवस्था करना।
5. सदस्य समिर्तियों के लिये आर्िक सहायता पहुॅचाने हेतु राजय सरकार की सहायता से प्रमुख राजय भागिता निधि की स्थापना करना तथा उससे सदस्य समितियों के अंश क्रय करना।
6. सदस्य समितियों के सदस्यों में मितव्यता, आत्मबल, पारस्परिक सहायता की भावना, प्रेम व्यवहार, व्यापार कुशलता, नैतिकता एवं सहकारिता के अन्य उद्देश्यों को अग्रसर कराने हेतु प्रयास करना एवं प्रशिक्षण देना।
7. सदस्य समितियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था कराना।
8. सदस्य समितियों को सहकारी संघ प्राधिकारी के रूप में पर्यवेक्षण करना।

गन्ना समितियों का गठन एक लम्बी अवधि में शनैः–शनैः गन्ना किसानों एवं जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर किया जाता रहा है। वर्तमान में प्रदेश में कुल 166 गन्ना समितियॉ निबन्धित हैं जिनमें से 70 गन्ना समितियॉ लाभ में हैं तथा शेष 96 गन्ना समितियॉ हानि की स्थिति में है। गन्ना समितियों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैः–

1. गन्ने की उपज में वृद्धि करने हेतु गन्ने के उत्तम बीज, खाद, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं, कृषियन्त्रों को उपलब्ध कराकर खेती के आधुनिक वेज्ञानिक विधियों के प्रचार के लिये प्रदर्शन, पौधशाला, प्रयोग में सहायता करना। समय–समय पर केन्द्र व राज्य सरकार तथा गन्ना संघ द्वारा बनाई गई योजनाओं को क्रियान्तिवत कराने में सहायता करना।
2. गन्ना कृषकों द्वारा उपजाये गये गन्न के लाभप्रद मूलय पर विपणन करना एवं गन्ना मूल्य भुगतान कराना, कृषकों के हितों की रक्षा, मितव्यता एवं पारस्परित समन्वय एवं सहकारिता के अन्य उद्देश्यों की पूर्ति करना।
3. गन्ना किसानों एवं चीनी मिलों के मध्य समन्वय करना।

4. गन्ना खरीद सम्बन्धी अधिनियमों, नियमों व आदेशों के अन्तर्गत विधिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करना आदि।

प्रदेश की जो गन्ना समितियों घाटे में चल रहीं हैं उनके मुख्य करारण निम्नलिखित हैः–

1. प्रशासनिक/प्रबन्ध व्यय एवं अन्य व्ययों में वृद्धि।
2. बन्द चीनी मिलों/बीमार चीनी मिलों से सम्बद्ध गन्ना समितियों द्वारा गन्ने की आपूर्ति में कमी एवं कमीशन के समय से भुगतान न होने के कारण रूग्ण हो जाना।
3. घाटे की समितियों को नाबार्ड योजना के अन्तर्गत खाद, बीज तथा दवाई आदि के लिये सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण न उपलब्ध कराया जाना।

उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति एवं खरीद विनियमन) अधिनियम 1953 के अनुसार फैक्ट्री का अध्यासी खरीदे गये गन्ने पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य की दर से कमीशन गन्ना समितियों को देगा। गन्ना समितियों को प्राप्त होने वाले समिति कमीशन 5 प्रतिशत के स्थान पर शासन के अधिसूचना दिनांक 24–06–1994 से 3 प्रतिशत किया गया। वर्ष 1998–99 से 2004 तथा 2004–05 तक विभिन्न शासनादेशों द्वारा गन्ना समितियों के कमीशन से 58 पैसे से 75 पैसे तक की छूट प्रतिकुन्टल चीनी मिलों को गन्ना मूल्यांश के रूप में दी गई जिसका विवरण निम्नलिखित हैः–

1– 1998–1999 में रू0 52.70 प्रतिकुन्टल गन्ना मूल्य पर 3 प्रतिशत में से रू0 0 .58 प्रति कुन्टल की छूट।

2– 1999–2000 में रू0 56.10 प्रतिकुन्टल गन्ना मूल्य पर 3 प्रतिशत में से रू0 0 .68 प्रति कुन्टल की छूट।

3– 2000–2001 में रू0 59.50 प्रतिकुन्टल गन्ना मूल्य पर 3 प्रतिशत में से रू0 0 .70 प्रति कुन्टल की छूट।

4– 2001–02 में रू0 62.05 प्रतिकुन्टल गन्ना मूल्य पर 3 प्रतिशत में से रू0 0 .75 प्रति कुन्टल की छूट।

5– 2002–03 में रू0 69.50 प्रतिकुन्टल गन्ना मूल्य पर 3 प्रतिशत में से रू0 0 .75 प्रति कुन्टल की छूट।

6– 2003–04 में रू0 73.00 प्रतिकुन्टल गन्ना मूल्य पर 3 प्रतिशत में से रू0 0 .75 प्रति कुन्टल की छूट।

7– 2004–05 में रू0 74.50 प्रतिकुन्टल गन्ना मूल्य पर 3 प्रतिशत में से रू0 0 .75 प्रति कुन्टल की छूट।

उपरोक्तानुसार दी गई छूट से प्रदेश में लगभग रू0 280 करोड़ विकास कमीशन के मद में समितियों को कम मिली है जिससे गन्ना समितियों की आर्थक स्थिति प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश की 39 गन्ना समितियों में चीनी मिलो से प्राप्त रू0 1876.81 लाख धनराशि अन्य मदों में व्यय कर ली गई है जिससे गन्ना किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा है। शासन के संज्ञान में लाने पर रू0 7.24 करोड इन गन्ना समितियों को ऋण के रूप में स्वीकृत कर अवमुक्त किया गया है लेकिन अभी भी रू0 1152.81 लाख शासन से अवमुक्त होना है जिसके लिये शासन से पत्र व्यवहार किया जा रहा है।

गन्ना समितियों की स्थापना के पीछे यह उद्देश्य रहा है कि गन्ना किसानों और चीनी मिलों के बीच में परस्पर समन्वय स्थापित किया जाये जिससे चीनी उद्योग को कच्चे माल की समुचित आपूर्ति पेराई सत्र के दौरान निरन्तर बनी रहे तथा साथ ही किसान को उनके उत्पाद का उचित मूल्य समय से मिल सके। समय–समय पर चीनी मिलों के बन्द एवं रूग्ण होने के कारण गन्ना किसानों का भुगतान न किये जाने की स्थिति में उनके द्वारा समितियों का कमीशन भी अवरूद्ध किया गया जिससे समितियों की आर्थिक स्थिति बदतर हुई। गन्ना समिति अभी भी किसानों के हित संरक्षण की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस संगठन के माध्यम से मिल के प्रबन्ध तन्त्र द्वारा किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान में विलम्ब उनकी पर्ची पर गन्ने की आपूर्ति में व्यवधान एवं विवादित बनाने की स्थिति में इस संगठन के माध्यम से ही उनका निराकरण कराया जाता है। प्रदेश में चीनी उद्योग को विकसित एवं

आर्थिक दृष्टि से सुदृण बनाने की दृष्टि से गन्ना समितियों को भी उसी के अनुरूप सक्षम बनाये रखने की आवश्यकता है जिससे गन्ना समितियॉ परस्पर एक दूसरे के पूरक एवं पोषक हों।

गन्ना आयुक्त, गन्ना संघ एवं निबन्धक सहकारी गन्ना समितियॉ उ0प्र0 के परिपत्र संख्या–101/फेड दिनांक 29–04–1994 द्वारा उर्वरक क्रय की विकेन्द्रीकरण योजना लागू की गई थी। यह योजना जुलाई 1994 से जीपी0चेक (गुड फॉर पेमेन्ट चेक) सिस्टम के अन्तर्गत शुरू की गई। पूर्व में गन्ना संघ द्वारा शासकीय गारन्टी के विरूद्ध उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ से कैश क्रेडिट योजना के अन्तर्गत रू0 30 करोड़ की ऋण सीमा स्वीकृत कराकर प्रदेश की सदस्य सहकारी गन्ना विकास समितियों को उर्वरक आदि क्रय कर पूर्ति करता रहा। पूर्ति कृषि निवेशों की धन वापसी जिला सहकारी बैंकों के स्तर से समितियों के खाते से उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ को गन्ना संघ के पक्ष में प्राप्त होती थीं।

उपरोक्त वर्क प्रणाली लागू होने के कारण गन्ना संघ का उर्वरक व्यवसाय प्रत्यक्ष रूप से समाप्त होने के कारण इस योजना में उर्वरक आदि पर गन्ना समितियों को प्राप्त होने वाले मार्जिन में से आंशिक रूप से प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त उर्वरक प्रदायकर्ता फर्मो से सर्विस चार्ज प्राप्त होता है। कीटनाशक/जमावर्धक दवाओं पर भी मार्जिन प्राप्त होता है। योजना के अन्तर्गत गन्ना संघ निम्नलिखित कार्यो का समन्वय एवं सम्पादन करता हैः–

1. कृषि विभाग के प्रदायकर्ता द्वारा उर्वरक का समय से पर्याप्त आबंटन कराना, प्रदायकर्ताओं तथा गन्ना समितियों के मध्य समन्वय बनाये रखना, उर्वरक वितरण से सम्बन्धित सभी पहलुओं का समय से वित्तीय संसाधन का प्रबन्धन एवं उपलब्धता समय से उर्वरक की खरीद प्रदायकर्ताओं को भुगतान, डी0सी0बी0 द्वारा समितियों को स्वीकृत किये जाने वाली ऋण सीमाओं का सुचारू संचालन इत्यादि की संघन समीक्षा तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करना।
2. जिला सहकारी बैंक के मुख्यालय से प्रदायकर्ताओं के नाम चेक/ड्राफ्ट/वित्त योजना के प्रार्थना पत्र लखनऊ मुख्यालय भेजा जायेगा तथा साथ ही प्रदायकर्त्ााओं का समय से भुगतान करने के लिये संघ द्वारा सक्रिय प्रयास एव समीक्षा का कार्य।
3. उर्वरकों की प्राप्ति, बिक्री, शेष संभार से सम्बन्धित सूचनाओं की समीक्षा करना आदि।
4. प्रदायकर्ताओं की शीघ्र भुगतान एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु समीक्षा करना–जिला स्तर से प्राप्त सूचना का संकलन कर सूचना तैयार करना।
5. मार्जिन मनी प्रस्ताव(सी0एफ0एस0सी0) फार्मर, सर्विस सेन्टर पैटर्न एन0सी0डी0सी0 से समितियों को अंश धनराशि के रूप में मार्जिन मनी स्वीकृत करना।
6. नाबार्ड योजना के अन्तर्गत एल0टी0ओ0 फण्ड से अंश धनराशि वित्त योजना के प्रस्तावों का होना।
7. नई योजना के अन्तर्गत उर्वरकों पर देय कुल वितरण मार्जिन मनी का विभाजन विभिन्न सेवायें प्रदान करने के लिये संघ एवं प्रदायकर्ताओं के बीच हुए आपसी समझौते के अनुसार प्रदायकर्ताओं द्वारा संघ को समिति चार्जेज की अदायगी की जायेगी।
8. नई योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये विभिन्न दरों पर प्रबन्ध एवं सघन समीक्षा हेतु कमेटियों का गठन जिसमें जिला स्तर क्षेत्रीय स्तर तथा राज्य सरकार स्तर पर कमेटियों के समीक्षा, बीमा दर का निर्धारण कराना, सभी जनपदों में समय से उर्वरकों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
9. गन्ना संघ द्वारा उपरोक्त दायित्वों को पूर्ण कराने एवं गन्ना संघ से बकाये की वसूली कार्य।
10. गन्ना संघ को उर्वरक, कीटनाशक, रक्षा यन्त्र पर गन्ना समितियों एवं चीनी मिल समितियों से मार्जिन प्राप्त करना।